न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 331/2025
भागीरथमल पुत्र रामेश्वर लाल, जाति माली, निवासी लाला वाली ढाणी, ग्राम ढाणी काना का वाली, नवलगढ़, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं राज0।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुंझुनूं राज0।

––रेस्पोडेन्ट

––

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 27.11.2023 बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम रतनलाल अं0 धारा 91 राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट मु0नं0 31/2022 बअदालत तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुंझुनूं

––

उपस्थित :–

1. श्री अनिल कुमार सैनी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.12.2025

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, नवलगढ के आदेश दिनांक 27.11.2023 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट ग्राम ढाणी काना का वांली का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के पास ग्राम काना का वाली में कृषि भूमि है। जिस पर अपीलान्ट अपने आवास के लिए मकान बनाकर निवास करता है तथा भूमि खसरा नं0 498, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 528, 529 व 530 कुल किता 10 रकबा 2.85 है0 वाके ग्राम काना का वाली ढाणी में स्थित है जिसमें अपीलान्ट अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य करता है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से काश्त करता आ रहा है तथा काबिज काश्त है। अपीलान्ट की उक्त भूमि मन्दिर श्री सत्यनारायण के नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट का 1/8 हिस्सा है। उक्त भूमि मन्दिर के नाम गलत दर्ज चली आ रही है जिसके अपीलान्ट द्वारा खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ में दावा बाबत् घोषणार्थ दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर रखा है। जिसके मु0नं0 74/2025 है जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ में विचाराधीन है तथा उक्त दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश भी जारी किया गया है। रेस्पोडेन्ट को पटवारी हल्का द्वारा गांव के नरेश कुमार, बिशनाराम व अन्य कई व्यक्ति जिन्होंने रास्ते की भूमि पर अतिचार कर रखा है के साथ मिलीभगर कर व उनको फायदा पहुंचाने के लिए पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट दिये जाने पर प्रार्थी/अपीलान्ट व अन्य दानाराम, रतनलाल को नोटिस अं0 धारा 91 राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट दिये जाने पर प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से दिनांक 11.01.2023 को पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री विप्लव पंडित ने वकालतनामा पेश किया तथा साथ में जवाब प्रार्थना पत्र भी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया जिसमें अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करने व रास्ते पर अतिक्रमण नहीं करना बताया तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना बताया तथा जिनके प्लॉट की नपती नहीं किया जाना बताया गया। प्रार्थी अपीलान्ट ने राजस्व कर्मचारी पटवारी गिरदावर की टीम गठित कर भूमि की नपती करवाकर रिपोर्ट मंगवाई जाने का निवेदन किया गया जिसके बाद जवाब को शामिल पत्रावली किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.03.2023 दी गई। दिनांक 20.03.2023 को

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अप्रार्थी अधिवक्ता के जवाब के अनुसार भू0अ0निरीक्षक को मौके रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर तारीख पेशी दिनांक 31.03.2023 दी गई जिसके बाद आगामी कार्यवाही हेतु पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 05.06.2023 दी गई जिसके बाद लगातार तारीख पेशी भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट अप्राप्त लिखा जाकर दी जाती रही। दिनांक 10.10.2023 को पटवारी द्वारा दिनांक 11.07.2022 की पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट को ही सही मान लिया जाता है जो न्यायालय श्रीमान् द्वारा निरस्त किया जाता है तथा पटवारी की रिपोर्ट को सही मानते हुए पटवारी द्वारा दर्शाये गये गलत अतिक्रमण के आधार पर सुनवाई हेतु दिनांक 04.11.2023 दी जाती है जिसके बाद दिनांक 04.11.2023 को अप्रार्थी की अनुपस्थिति लिखी जाकर सुनवाई हेतु अन्तिम अवसर लिखा जाकर तारीख पेशी दिनांक 27.11.2023 आगामी कार्यवाही हेतु दी गई जिसके बाद दिनांक 27.11.2023 को पत्रावली में निर्णय अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये व बिना मौके की रिपोर्ट मंगवाए ही कर दिया गया। अप्रार्थी अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा बार–बार तारीख पेशी पूछने पर रीडर द्वारा कहां गया की भू0अ0निरीक्षक की मौके की रिपोर्ट आ जायेगी तब पत्रावली में कार्यवाही होगी रिपोर्ट आने पर आपको बता दिया जायेगा जिसके बाद अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को कहा गया कि पत्रावली भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट आने में चल रही है जब रिपोर्ट आ जायेगी आपको सूचित कर दिया जायेगा जिसके बावजूद रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 27.11.2023 को प्रार्थी/अपीलान्ट का सुने बिना निर्णय किया गया। दिनांक 30.10.2025 को प्रशासन के साथ पटवारी ग्राम काना का वाली ढाणी में आया तथा उसने प्रार्थी/अपीलान्ट सहित दानाराम रतनलाल के खिलाफ रेस्पोडेन्ट द्वारा बेदखली आदेश दिया जाना बताया जिस पर प्रार्थी/अपीलान्ट ने दिनांक 31.10.2025 को ही तहसील कार्यालय नवलगढ़ में जाकर मालूम किया तो प्रार्थी/अपीलान्ट को दिनांक 27.11.2023 को प्रार्थी/अपीलान्ट व अन्य दानाराम भागीरथमल के खिलाफ बेदखली का आदेश दिये जाने का पता चलने पर प्रार्थी की ओर से दिनांक 31.10.2025 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नकल तैयार की जाकर दिनांक 31.10.2025 को प्राप्त होने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 27.11.2023 को प्रार्थी/अपीलान्ट के विरुद्ध पारित किये गये आदेश के बाबत जानकारी हुई। अदालत मातहत के आदेश जैर बहस से व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत का आदेश जैर बहस दिनांक 27.11.2023 खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.01.2022 को जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें पटवारी द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट पर आपत्ति की गई जिसके बाद न्यायालय श्रीमान् ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को गलत मानते हुए पत्रावली में आगामी तारीख पेशी पुनः मौके की रिपोर्ट मंगवाने हेतु दी गई थी। दिनांक 20.03.2023 को भू0अ0निरीक्षक नवलगढ़ व पटवारी हल्का ढाणियां नवलगढ़ को अपीलान्ट की रिपोर्ट पर आपत्ति के जवाब के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 31.03.2023 से पूर्व पेश करने का आदेश कार्यालय तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा दिया गया परन्तु मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट का सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए थी परन्तु अदालत मातहजत ने ना ही भू0अ0निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की ना प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिया। इस प्रकार अदालत मातहत ने उक्त सभी बातें बिना कोई गौर किए ही अपीलान्ट के विरुद्ध आदेश देने में भंयकर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत का आदेश मौका रिपोर्ट प्राप्त किए बिना किया गया है उक्त पत्रावली में न्याय करने के लिए मौके की रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक था इसलिए अदालत मातहत द्वारा मौके के विपरित विधि विरुद्ध आदेश दिया है। अदालत मातहत का आदेश खारिज की गई रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है जो विधि विरुद्ध आदेश दिया है। प्रार्थी/अपीलान्ट के विरुद्ध गांव के 2–3 व्यक्ति द्वारा पटवारी हल्का के साथ मिलीभगत के कारण निराधार शिकायत के आधार पर नाजायज असर से आदेश पारित किया गया है जो निराधार है। अदालत मातहत ने प्रार्थी/अपीलान्ट के ना तो सबूत पत्रावली पर लिए न प्रार्थी को सुनवाई का अवसर ही दिया गया तथा पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये जिससे प्रार्थी को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार अदालत मातहत की कार्यवाही विधिवत नहीं होने से खारिज होने योग्य है। पटवारी हल्का ने अपनी मनमर्जी से अन्य लोगों को बहकावे में आकर झूठी रिपोर्ट दी है। जिसके आधार पर प्रार्थी का अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत ने आदेश का परर्फोमा साईक्लोस्टाईल करवाकर दिया है जिससे जाहिर है कि अदालत ने माईन्ड अप्लाई नहीं किया। रेस्पोडेन्ट ने

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

बिना किसी कारण कानून की अनदेखी कर निर्णय दिया है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 27.11.2023 को निरस्त फरमाया जावे व प्रार्थी/अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का आदेश जैर बहस दिनांक 27.11. 2023 खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.01.2022 को जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें पटवारी द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट पर आपत्ति की गई जिसके बाद न्यायालय श्रीमान् ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को गलत मानते हुए पत्रावली में आगामी तारीख पेशी पुनः मौके की रिपोर्ट मंगवाने हेतु दी गई थी। दिनांक 20.03.2023 को भू0अ0निरीक्षक नवलगढ़ व पटवारी हल्का ढाणियां नवलगढ़ को अपीलान्ट की रिपोर्ट पर आपत्ति के जवाब के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 31.03.2023 से पूर्व पेश करने का आदेश कार्यालय तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा दिया गया परन्तु मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट का सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए थी परन्तु अदालत मातहजत ने ना ही भू0अ0निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की ना प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिया। इस प्रकार अदालत मातहत ने उक्त सभी बातें बिना कोई गौर किए ही अपीलान्ट के विरुद्ध आदेश देने में भंयकर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत का आदेश मौका रिपोर्ट प्राप्त किए बिना किया गया है उक्त पत्रावली में न्याय करने के लिए मौके की रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक था इसलिए अदालत मातहत द्वारा मौके के विपरीत विधि विरुद्ध आदेश दिया है। अदालत मातहत का आदेश खारिज की गई रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है जो विधि विरुद्ध आदेश दिया है। प्रार्थी/अपीलान्ट के विरुद्ध गांव के 2–3 व्यक्ति द्वारा पटवारी हल्का के साथ मिलीभगत के कारण निराधार शिकायत के आधार पर नाजायज असर से आदेश पारित किया गया है जो निराधार है। अदालत मातहत ने प्रार्थी/अपीलान्ट के ना तो सबूत पत्रावली पर लिए न प्रार्थी को सुनवाई का अवसर ही दिया गया तथा पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये जिससे प्रार्थी को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार अदालत मातहत की कार्यवाही विधिवत नहीं होने से खारिज होने योग्य है। पटवारी हल्का ने अपनी मनमर्जी से अन्य लोगों को बहकावे में आकर झूठी रिपोर्ट दी है। जिसके आधार पर प्रार्थी का अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत ने आदेश का परफोमा साईक्लोस्टाईल करवाकर दिया है जिससे जाहिर है कि अदालत ने माईन्ड अप्लाई नहीं किया। रेस्पोडेन्ट ने बिना किसी कारण कानून की अनदेखी कर निर्णय दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 27.11.2023 को निरस्त फरमाया जावे व प्रार्थी/अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने गैर मुमकीन रास्ते की भूमि पर तारबन्दी कर व मेड बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि रास्ते की होना व सरकारी होना स्वीकार किया है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अपीलान्ट ने 2 साल बाद यह अपील पेश की है। अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम कानाका वाली ढाणी स्थित भूमि ख0न0 496 कुल रकबा 0.90 है0 किस्म गैर मुमकीन रास्ते मे से 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 11.1.2023 को अपीलान्ट द्वारा जबाब पेश किया गया। आदेशिका दिनांक 20.03.2023 मे उक्त जबाब के

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

क्रम मे भू0अ0नि0 से विवादित भूमि के संबंध मे रिपोर्ट तलब की गई। आदेशिका दिनांक 31.03.2023, 05.06.2023 एवं 03.07.2023 के अनुसार पत्रावली इन्तजार रिपोर्ट मे रही। आदेशिका दिनांक 31.08.2023 एवं 26.09.2023 मोहर से लिखी गई। आदेशिका दिनांक 10.10.2023 इन्तजार रिपोर्ट मे रही। आदेशिका दिनांक 04.11.2023 मे रिपोर्ट हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। आदेशिका दिनांक 27.11.2023 के अनुसार बिना रिपोर्ट लिये ही अन्तिम निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 27.11.2023 पारित किया गया है। आदेशिकाओं मे भी अदालत मातहत द्वारा कांट छांट की गई है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये जाने अर्थात पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देते हुये एवं विधिक प्रकिया अपनाकर किया जाना चाहिए। वर्णित प्रकरण मे अदालत मातहत द्वारा ऐसा नही किया गया है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 27.11.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका देकर तथा विधिक प्रकिया अपनाकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। अपील अपीलान्ट स्वीकार होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से निर्णय पारित करने की आवश्यकता नही है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं